भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2079

21 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017

2079. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में उल्लिखित विज़न को साकार करने के लिए भारतीय इस्पात उद्योग हेतु संबंधी अपने कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार 100-150 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन, जो कि निकट भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती है, के लिए वित्तपोषण और क्षमता संवर्धन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कार्य कर रही हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि नीति दस्तावेजों में माना गया है कि 10 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी और इसका वित्तपोषण देश में इस्पात उद्योग के लिए प्राथमिक चुनौती है और, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) और (ख): देश की मौजूदा वार्षिक क्रूड इस्पात क्षमता 144 एमटी है और वर्ष 2030-31 तक इसके 300 एमटी तक पहुँचने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का उद्देश्य इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए, की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) घरेलू रूप से विनिर्मित स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना।

(iv) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

(v) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

(vi) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

(vii) देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान प्रयोक्ताओं के साथ सहभागिता।

(ग): राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के पैरा 4.2.5 के अनुसार "अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता के निर्माण हेतु वर्ष 2030-31 तक लगभग 10 लाख करोड़ रूपए के महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी"।

इस निवेश का अधिकांश हिस्सा ऋण वित्तपोषण के माध्यम से प्राप्त होने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशों के अनुसार ऋण संबंधी मामलों को व्यापक तौर पर नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। आरबीआई ने बैंकों को उनके ऋण संबंधी संव्यवहार के लिए समुचित बोर्ड - अनुमोदित नीतियों को लागू करने का परामर्श दिया है।

****